

INDIAN RAILWAY
BANARAS LOCOMOTIVE WORKS
Office of the General Manager (Personnel), 2nd Floor: Administrative Building
VARANASI- 221004
Employment Notice No. Sports quota/02/2026-27

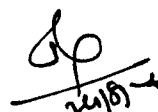
Opening date of Online application	12.09.2026
Closing Date of Online application (for fee payment, uploading documents, and submission of online application)	12.10.2026

1. Online applications are invited from eligible Indian SPORTS PERSONS for filling up of 25 Posts (02 in Pay Level-5, 08 in Pay Level-2 & 15 in Pay Level-1) in the following disciplines against Sports Quota (Open Advertisement) for the year 2026-27 in BLW, Varanasi. **ONLY CANDIDATES HAVING THE REQUIRED SPORTS QUALIFICATION ARE ELIGIBLE TO APPLY.** There is no reservation for SC, ST, OBC, EWS, PH, and Ex-SM. Separate application is to be filled for separate discipline/game, if eligible, with separate examination fee as applicable for each application.

2. Detail of the posts: -

SN	Name of Games	Level-01	Level-02	Level-05	Total
01	Basket Ball (Men)	1 post-All Rounder 2 post- Forward	1 post- All Rounder 1 post- Point Guard 1 post- Pivot	-	06
02	Volleyball (Men)	1 post- Universal 1 post- Libero 1 post – Counter Attacker 1 post- Setter 1 post - Center Blocker	1 post – Counter Attacker 1 post – Universal	-	07
03	Wrestling (Men)	1 post- 57 Kg Free Style 1 post- 97 Kg Greco Roman	1 post- 70 Kg Free Style 1 post- 125 Kg Free Style	-	04
04	Handball (Men)	1 post- Left Back 1 post – Right Wing 1 post- All-rounder 1 post- Pivot 1 post-Goal Keeper	1 post-Center Back	1 post- Right Back 1 post- Left Wing	08
	Total	15	08	02	25

Note: No post is reserved for SC, ST, OBC & EWS. However, the candidates claiming to belong to SC/ST/OBC/EWS communities are required to enclose photocopy of Self Attested Caste Certificate/EWS Certificate in the format of central government issued by Competent



Authority i.e. not below the rank of Tehsildar. Otherwise no benefit will be given to them for their community in fee.

3. Minimum Sports & Educational Qualification: -

(A) Sports Norms/Qualification: The minimum norms for recruitment of sports quota shall be as under in addition to the qualifying performance/position. These provisions shall be read along with note given below of the para.

Categorization of International Championships:

Category- A	Olympic Games (Senior Category)
Category- B	World Cup (Junior/Youth/Senior Category), World Championships (Junior/Senior Category), Asian Games (Senior Category), Commonwealth Games (Senior Category), Youth Olympics
Category- C	Commonwealth Championships (Junior/Senior Category), Asian Championships/Asia Cup (Junior/Senior Category), South Asian Federations Games (Senior Category), USIC (World Rlys) Championships (Senior Category), World University Games

SN	Level	Minimum Sports Norms
01	05	Olympic Games (Senior Category) OR At least 3 rd Position in any of the Category-B Championships/ events.
02	02	Represented the country in any of the Category-B Championships/ events OR At least 3 rd Position in any of the Category-C Championships/events OR At least 3 Position in Senior /Youth/Junior National Championships OR At least 3 rd position in National Games organization under aegis of Indian Olympic Association. OR At least 3 rd position in All India Inter University Championship organized under the aegis of Association of Indian Universities. OR 1 st Position in Federation Cup Championships (Senior Category)
03	01	Represented the country in any of the category C Championships/events OR At least 3 rd position in Federation Cup Championships (Senior category) OR Represented a state or equivalent unit, except in Marathon and Cross country <u>with at least 8th position in Senior National Championships only.</u>

(B) Educational Qualification:

Candidates should possess requisite academic qualification while applying in response to the notification as given below. **Those who are appearing at and/or awaiting results of final examinations are not eligible:**

Handwritten signature/initials

championship/event shall be taken into account. Activeness in sports shall be adjudged as per his performance during the trials.

(Authority Para- 4.2.1 of Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter no..2010/E (Sports)/4 (1)/1 (Policy) dated 31.12.2010)

(6) Age Limit:

Minimum 18 years and maximum 25 years as on 01/01/2027. Candidates born between 01/01/2002 and 01/01/2009 (both days inclusive) should only apply. Candidates born on or before 31/12/2001 are not eligible. Similarly, candidates born on or after 02/01/2009 are also not eligible. (No relaxation in lower or upper age limit for any Community of candidate).

Note: -10th/Matriculation Certificate/Equivalent Educational Certificate/Educational Certificate mentioning date of birth are mandatory for D.O.B otherwise application will be rejected)

(7) Examination Fee:

For candidates belonging to SC, ST, Ex- Servicemen, Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), Minorities and Economically Backward Classes	Rs. 250/-	Refund of Rs.250 will be made to the candidates who actually appear in the trial.
All other candidates	Rs. 500/-	Refund of Rs.400 will be made to the candidates who actually appear in the trial.

Note: - Candidates are advised to deposit the requisite fees for application from their own account number or their mother's/father's account number or from bank in favour of FA AND CAO, BANARAS LOCOMOTIVE WORKS, VARANASI, in Account No: 10852349060, IFSC Code SBIN0001868 of State Bank of India before the closing date. After depositing the examination fee, the candidates should login again to complete the application form. Candidate must take a printout of the application form. Candidate should keep the fees receipt for further recruitment process. Cheque, Draft & Postal Order will not be accepted.

* Minorities meaning Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Zoroastrians (Parsis). For claiming waiver of examination fee, Minorities candidates should submit 'self-declaration', as mentioned in Annexure-III. At the time of Trial/Document Verification, such candidate claiming waiver of examination fee will be required to furnish 'minority community declaration' affidavit on non-judicial stamp paper that candidate belongs to any of the above minority communities. **If 'self-declaration' as mentioned in Annexure-III not uploaded with online application or the affidavit is not produced during Trial/Document Verification, their candidature will be rejected.**

** Economically Backward Class (EBC) means those whose annual family income is less than Rs. 50,000/-. They have to submit income certificate at the time of applying in the prescribed format as given in Annexure-IV on the letter head of the competent issuing authority.

(8) SELECTION PROCEDURE:

- Selection will be based upon Screening of application, Document Verification, performance in Sports Trials and assessment of sports achievement & educational qualification etc.
- After scrutiny of applications short-listed eligible candidates will be called for Document Verification & Trial of sports performance. Candidates who will be found

S. No.	Post having Pay Level (As per 7 th P.C.)	Minimum Educational Qualification for recruitment
i.	Pay Level 5	A Degree/Graduation or its equivalent from a recognized university
ii.	Pay Level 2	12 th (+2 stage) or its equivalent examination from a recognized Board/University
iii.	Pay Level 1	10 th pass or ITI or equivalent from a recognize Board or National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by NCVT.

(4) NOTE:

(A) All the eligibility championship mentioned above in para 3 (A) should be conducted under the aegis of recognized International/National/State sports federation and also recognized by Railway Sports Promotion Board. Those Sports Federation which are not recognized or derecognized even after this notification, the certificate issued by them will not be considered for recruitment.

(B) In Volleyball, the sports achievement in the events conducted by Volleyball federation of India or its affiliated units after 25.06.2020, shall not be considered for recruitment. However, the certificates issued by the Association of Indian Universities and the International Federations for recognized sports achievement in the game of Volleyball, will be valid for the said purpose.

(C) In Handball, the participation and medal winning performances in the events organized by HAI (Handball Association India) or its affiliated units on or after 05.09.2023, will not be considered for recruitment. However, the certificates issued for the events conducted under the aegis of the Association of Indian Universities and recognized International Sports Federations in the game of Handball, will be considered valid for the said purpose.

(D) In Wrestling, Certificates of sports achievements issued for the events conducted by WFI of its affiliated units after 10.03.2025 shall be considered for recruitment.

(E) For recruitment of sportspersons on the basis of sports achievements in Junior National Championship, the age group as mentioned below, shall only be considered: -

S. N.	Discipline	Cate gory	Age Group	Name of recognized Championship
1	Basketball	Men	Under -18	Junior National Basketball Championship
2	Volleyball	Men	Under - 19	Junior National Volleyball Championship
3	Wrestling (Free Style and Greco Roman Only)	Men	Under - 20	Junior National Wrestling Championship

All the recruitments against Open Advertisement Quota shall be at the minimum pay of the corresponding Level/scale of pay.

(5) Period of reckoning sports achievements:

Only those Sportspersons who have acquired the sports achievements - eligibility norms in the championship on or after 01/04/2024 and are active will be eligible to apply for appointment against Sports Quota. For validity of sports achievement, concluding day of the

suitable in Document Verification. Trials of those on candidates will be conducted by Trial Committee. Trial Committee will conduct trial to assess their sports performance and suitability for Railway/Unit team as well as Indian Railways team. Trial Committee shall give its recommendation in terms of either FIT or NOT FIT, for consideration for next stage, by giving marks as per the criteria given below: -

For Game skill, physical fitness & coach's observations during trials	40 Marks
FIT Candidate	Candidate securing 25 marks or more
NOT FIT Candidate	Candidate securing marks below 25

(**Authority Para-** 8.1.10 of Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter no.- 2010/E (Sports)/4 (1)/1 (Policy) dated 31.12.2010)

- iii. After Trial only the FIT Candidates in trial shall be considered for the next stage i.e. assessment of sports achievement & educational qualification by the Recruitment Committee.
- iv. Recruitment Committee shall award the marks (out of 60 marks) only to the FIT candidates for their sports achievements, educational qualifications etc. Candidates declared 'NOT FIT' will not be assessed further by the Recruitment Committee.
- v. Assessment of sports achievement & educational qualification of the FIT candidates shall invariably be held on the same day, just after trials or at the most, next day of the trials.
- vi. Recruitment Committee is to add the marks given by the Trial Committee to the FIT candidates (i.e., out of 40 marks), in order to make the final merit list (out of 100 marks.)
- vii. **Distribution of Marks:** Maximum marks which can be awarded by the Trial Committee for performance during Trial and Recruitment Committee during assessment of sports achievement & educational qualification, shall be as follows:

For game skill, physical fitness & Coach's observations during Trials	40 Marks
For assessment of recognized Sports Achievements as per norms	50 Marks
Educational Qualification	10 Marks
Total Marks	100 Marks

(**Authority Para-** 8.2.16 of Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter no.- 2010/E (Sports)/4 (1)/1 (Policy) dated 31.12.2010 & letter no.- 2018/E(Sports)/4(1)/13 dated- 13.09.2018)

- viii. Minimum qualifying marks for recruitment through Open Advertisement in different Pay Level/Grade Pay, shall be as follows:

Name of Pay Level (As per 7th P.C.)	Minimum Qualifying Marks
Pay Level 5	70 Marks
Pay Level 2	65 Marks
Pay Level 1	60 Marks

(**Authority Para-** 8.2.17 of Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter no.- 2010/E (Sports)/4 (1)/1 (Policy) dated 31.12.2010)

Note: The offer of appointment shall be given purely on the basis of merit. In case more than one sportsperson scores the same marks, preference should be given to younger candidate to decide the merit.

9. Medical Examination: Candidates recommended for appointment will have to pass the requisite medical fitness standards prescribed for the post identified by the BLW Administration.

10. Period of Probation: All the candidates getting appointment will undergo probation period of Two years (02 years).

11. Selected candidates will have to submit "Service Bond" of 5 years at the time of appointment.

12. GENERAL INSTRUCTIONS:

- a. Recruitments of sports persons shall be dealt as per Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter no. 2010/E (Sports)/4 (1)/1 (Policy) dated 31.12.2010 read with modifications/ amendments issued by the Railway Board from time to time.
- b. Merely Registering/filling up online application on BLW website does not entitle the candidate being eligible for selection process. Candidature of the candidate participating in the selection process is provisional at all stages.
- c. The decision of Railway Administration on all matters relating to eligibility, place, date, mode of selection, acceptance or rejection, recommendation of post, place of posting, grade etc. shall be final and binding on the candidates. No correspondence will be entertained in these regards. BLW Administration reserves the right to decide the number of sports persons to be selected for any individual/team game depending upon their requirement for that sports and availability of suitable candidates fulfilling the norms.
- d. No post is reserved for SC, ST, and OBC, However the candidates claiming to belong to SC/ST/OBC communities for Fee relaxation are required to upload copy of self-attested Caste Certificate issued by Competent Authority, failing which no Fee relaxation is permissible and any such candidate paying less fee than 500/- as applicable to General candidate shall be REJECTED.
- e. Sports person having sports norms of higher pay matrix and applied against the vacancies for the lower pay matrix will be considered for applied level only if found eligible otherwise.
- f. No TA/DA/Accommodation will be given for appearing in the selection trials/ assessment. Applicant will have to bring their own playing kit. They may also be required to stay during the selection for 4-5 days, for which they have to make their own arrangements. The BLW Administration reserves the right to fix any date, as deemed suitable, change of place or postpone trials/assessment (at its own convenience) or even cancel trials due to unforeseen circumstances against which no claim will be accepted.
- g. Candidate should be in readiness to appear for the Trials etc. at short notice after the last date for submission is over.
- h. Sports person recruited against sports quota shall be terminated from service, if the information and documents furnished by him/her for recruitment are found incorrect/ fake at any stage.
- i. Candidates who have been debarred for life from all RRR/RRC examinations or candidates who have been debarred for a specified period which is not yet completed need not apply in response to this employment notice. Their candidature will be rejected during any stage of recruitment as and when detected.
- j. Any subsequent changes in the terms and conditions of the Employment Notice as per extant rules will stand good. BLW reserves the right to consider/ incorporate any



- subsequent changes/ modification/additions/cancellation in the terms & conditions of recruitment under this Employment Notice as and when applicable.
- k. Candidates selected through Sports quota will have to perform in his/her field of sports for a minimum period of 5 years. His/her performance will be assessed during first two years of service (Probation period). In case performance is not found up to the mark his/her service is liable to be terminated.
 - l. BLW reserves the right to reject the candidature of any applicant at any stage of the process of recruitment, if any irregularity/ deficiency is noticed in the application/candidature.
 - m. if any discrepancy exists between the notification and Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) instructions, Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) instructions shall prevail.
 - n. The Railway Administration reserves the right to cancel/ postpone / keep in abeyance the recruitment process at any stage without assigning any reason.
 - o. Candidates who have been debarred from NADA/other authorised agencies for a specified period which is not yet completed need not apply in response to this employment notice. Their candidature will be rejected during any stage of recruitment as and when detected.
 - p. For any Legal dispute, the Jurisdiction will be CAT/Allahabad only.
 - q. In the event of any dispute about interpretation or any mistake, the English version will be treated as final.
 - r. Canvassing in any form, misbehaviour of misconduct will lead to summary rejection and cancellation of candidature and no correspondence will be entertained in this matter.
 - s. Candidates should bring all documents uploaded with ONLINE Application Form in Original along with one set of self-attested photo copies (Date of Birth (Matriculation or Equivalent Certificate), Educational Qualification, Sports Achievements, Caste Certificate, NOC from the employer, if working etc.) on the day of trial and assessment. Failing which they shall not be allowed to appear in the Trial/Assessment Certificates in languages other than English or Hindi should be accompanied by a self-attested translation in English/Hindi.

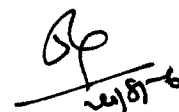
(13) HELP DESK

For any problems in the Online submission and printing of Application, Candidates can send queries through email at rectgmpdlw@gmail.com on working days only and contact on mobile number- 9794864103, 9794839226, 7753996190 in working hours on working days only.

(14) Document to be uploaded: -

Candidates are required to upload the following legible documents: -

- (i) Scanned copy of essential minimum prescribed sports qualification certificate or as prescribed in para 3(A) of the Notification.
- (ii) Scanned copy of certificate of Essential educational qualification as prescribed in para 3(B) of the Notification.
- (iii) Scanned copy of certificate for proof of Date of Birth (Standard 10th/Matriculation Certificate/Equivalent Education Certificate/Educational Certificate/School leaving certificate mentioning date of birth.
- (iv) Scanned copy of caste/community certificate in prescribed format issued by the competent authority for SC/ST/OBC/EWS candidates, wherever applicable.



- (v) Scanned copy of Income Certificate in prescribed format issued by the competent authority for EBC candidates.
- (vi) Scanned copies of relevant certificates in proof of claiming exemption in examination fee.
- (vii) Scanned copy of NOC from employer (If applicable).
- (viii) Scanned copy of Aadhar Card.
- (ix) Scanned copy of Deposit slip of payment.
- (ix) Any certificate, photograph etc. sent separately after uploading of Application Form, will not be entertained.
- (x) Scanned Photograph, Scanned Signature.

Note :-

(i) Scanned Photograph/Soft Copy of Photograph: -

- a) Candidates are required to upload their colour photograph (size 3.5 cm x 3.5 cm, which should not be older than three months from the date of application in colour, JPG/JPEG/PNG format, 100 DPI) with clear front view of the candidate without cap and sunglasses.
- b) The colour photograph must have been taken on or after publication of web notice in a professional studio. Photographs taken using mobile and self-composed portraits may result in rejection of application.
- c) The photograph must match with the appearance of the candidate on the days of Document Verification/Trial/ Medical Test and Appointment.
- d) In case the candidate wears glasses, then the photograph should not have any glare/reflections on glasses and eyes should be clearly visible.
- e) Candidates may note that of Railway Administration may, at any stage, reject the applications for uploading old/unclear photograph or for any significant variations between photograph uploaded in the Application Form and the actual physical appearance of the candidate.
- f) Candidates are advised to keep 08 (eight) additional copies of the same photograph ready with them for further use, as and when required during the recruitment process.

(ii) Scanned Signature/Soft Copy of Image of Signature: -

Candidates are also required to upload their signature (size 3.5 cm x 2.5 cm, JPG/JPEG/PNG format, 100 DPI). Scanned signature should be, either in English or Hindi, and in running hand.

(15) How to Apply: -

15.1 First of all candidates must carefully read/go through all the instruction given in this notification and follow the same. Candidates are advised to keep scanned copy in JPG/ JPEG/ PDF format of following documents ready with them:

- a. Passport size colour photograph (JPG/JPEG/PNG),
- b. Scanned Signature (JPG/JPEG/PNG),
- c. Copy of self-attested certificate in proof of Date of Birth, Educational Qualification (PDF),
- d. Copy of self-attested certificate in proof of Sports Achievement/Qualification (PDF),
- e. Deposit slip of payment (JPG/JPEG/PNG/PDF),
- f. Copy of self-attested certificate of Community/Caste (If Applicable) (JPG/JPEG/PNG/PDF),



g. Copy of self-attested certificate of Fee Waiver (If Applicable) (JPG/JPEG/PNG/PDF),

h. Copy of self-attested certificate of NOC (If Applicable) (JPG/JPEG/PNG/PDF).

15.2 Visit the Official website of BLW, Varanasi, <https://blw.indianrailways.gov.in>, click on **Recruitment for sports quota 2026-27**.

15.3 Click on 'Register Here'.

15.4 Fill in your personal information, Personal E-mail ID and Mobile No. (Please give your active personal E-mail ID/Mobile No. as all recruitment related information will be provided on registered E-mail ID/Mobile No.)

15.5 On submission of required details, E-mail/SMS (containing candidate ID) will be sent to the registered E-mail ID/Mobile No.

15.6 Candidate may note their candidate id and password, which was send to your register E-mail/SMS.

15.7 After completing the registration process, Candidate should deposit the requisite fees for application from their own A/C number or their mother's/father's account number or from bank in favour of FA AND CAO, BANARAS LOCOMITIVE WORKS, VARANASI, in Account No: 10852349060, IFSC Code SBIN0001868 of State Bank of India before the closing date. Receipt & transaction ID should be uploaded/ enter on the portal. Candidate should mention their UTR/ Reference No. in online form.

15.8 After depositing the examination fee, the candidates should keep its transection receipt.

15.9 After completing the payment login again using candidate id and Password.

15.10 Follow the instructions and complete the registration process step by step.

15.11 Upload the scanned copy of photograph, signature, Deposit slip of payment/ transection, Aadhar, and self-attested copies of requisite certificates etc.

15.12 Submit the application and take print out of application.

16. Proficiency in Typing Skill: In terms of Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter No. E (NG)-II/2004/RR-1/48 Dated 09.02.2005 (RBE No. 25/2005) the sports persons who is recruited as Clerk / Sr. Clerk against sports quota will have to pass the requisite type writing test. (English 30 words per minute or Hindi 25 words per minute) within four years from the date of his appointment).

17. MISCELLANEOUS: Railway Administration will not be responsible for any inadvertent error in the advertisement (BLW website would be primary and main source of contact with the candidates for various information during the selection.)

18. Recruitment process against Sports Quota is done as per the instructions issued by the Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide its letters No. 2010/E (Sports)/04(I)/I(Policy), dated 31.12.2010, 18.04.2012, 10.03.2015, 11.08.2017, 11.09.2017, 30.11.2017, 05.12.2017, 09.01.2018, 13.09.2018, 17.06.2019, 13.08.2019, 04.01.2023, 08.02.2023 and modifications/ amendments issued by the Railway Board from time to time.

DA: - Annexure I, II, III & IV.


Senior Personnel Officer (Hq.)
For General Manager (P)/BLW

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES

The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

1. This is to certify that Shri/Smt./Kumari*
Son/Daughter* of Shri /Smt.....
of Village/Town*.....District/Division*.....

..... of state/Union Territory* belongs to the
..... Caste/Tribe* which is recognized as Scheduled Caste/Schedule Tribe* under:

The Constitution (Scheduled Castes/Scheduled Tribes) order, 1950

The Constitution (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes) (Union Territories) order, 1951 [as amended by the Schedule Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganization Act 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Area (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976]. The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956.

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes order, 1959 @ as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Caste order, 1962

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes order, 1962

The Constitution (Pondicherry) Scheduled Caste order, 1964

The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) order, 1967

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste order, 1968

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes order, 1968

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order, 1970

The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes order, 1978

The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order, 1978

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order, 1989

The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990

The Constitution (ST) orders (Amendment) Act, 1991

The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996

The Constitution (Scheduled Castes Orders (Amendment) Act 2002

The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002

2. Application in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Persons who have migrated from one State/
Union Territory Administration

This certificate is issued on the basis of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to

Shri/Smt/* Father/Mother of Shri
/Smt./Kum* of Village /Town*

District/Division* of state/Union Territory* who
belongs to the Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe
in State/Union Territory* issued by the dated

3. Shri/ Smt/ Kum* and/ or his/her * family, ordinarily reside(s) in
village/town* of District/ Division* of the
State/Union Territory*

Date.....

Place.....

Signature.....

Designation.....

(With seal of office)

State/Union Territory.....

(*) Please delete the word(s) which are not applicable

Note: The term* ordinarily resides* used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe certificates:

- i. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
- ii. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- iii. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- iv. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- v. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned.
- vi. Administrator/Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Admindivi Islands).

Note: ST candidates belonging to Tamilnadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

Annexure-II

The format of the certificate to be produced by OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Smt/Kum* Son/Daughter* of Shri/Smt..... of village /town* District in State belongs to the community which is recognized as backward class under : (indicates Sub-caste)

- 1) Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September 1993, published in the Gazette of India Extraordinary – part 1 Section 1, No.186 dated 13th September 1993.
- 2) Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19th October 1994, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.163 dated 20th October 1994.
- 3) Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24th May 1995, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.88 dated 25th May 1995.
- 4) Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December 1996, published in the Gazette of India Extraordinary – part 1 Section 1, No.210 dated 11th December 1996.
- 5) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.129 dated 8th July 1997.
- 6) Resolution No.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.164 dated 1st Sept. 1997.
- 7) Resolution No.12011/99/94-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.236 dated 11th Dec 1997.
- 8) Resolution No.12011/13/97-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.239 dated 3rd Dec.1997.
- 9) Resolution No.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.166 dated 3rd Aug.1998.
- 10) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.171 dated 6th Aug.1998.
- 11) Resolution No.12011/68/98-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.241 dated 27th Oct.1999.
- 12) Resolution No.12011/88/98-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.270 dated 6th Dec.1999.
- 13) Resolution No.12011/36/99-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.71 dated 4th April 2000.

Shri/Smt/Kum* and /or his/her * family ordinarily reside(s) in the District of the State. This is also to certify that he/she* **does not belong** to the persons/sections (**Creamy Layer**) mentioned in column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93- Estt (SCT) dated 8/9/1993) and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36033/3/2004/Estt.(RES.) dated 09.03.2004. & O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27.05.2013 and 13.09.2017**

District Magistrate/Dy. Commissioner Etc.
(With seal of office)

Place

Date

(*) Please delete the words which are not applicable

(**) As amended from time to time.

a. The term “Ordinarily reside(s)” used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

b. Where the certificates are issued by Gazetted Officers of the Union Government or State Governments, they should be in the same form but countersigned by the District Magistrate or Dy. Commissioner (Certificate issued by Gazetted Officers and attested by District Magistrate/Deputy Commissioner are not sufficient)

c. The OBC certificate from the authorities only will be accepted: -

1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)/ * Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned.
6. Magistrate concerned.
7. Administrator/Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Admindivi Islands)

Performa for declaration to be submitted by Minority Candidates

DECLARATION

"I.....Son/daughter of Shri

Adress.....

District..... State..... Pin Code.....

hereby declare that I belong to the (indicate minority community notified by Central Government i.e. Muslim/Sikh/Christian/Buddhist/Parsi/Jain).

Place:

Signature of the Candidate:

Date:

Name of the Candidate:

Note: At the time of document verification such candidates claiming waiver of examination fee will be required to furnish 'Minority Community Declaration' affidavit on Non Judicial Stamp paper that he/she belongs to any of the minority communities notified by Central Government (i.e. Muslim/Sikh/Christian/Buddhist/Parsi/Jain)

**INCOME CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY ECONOMICALLY
BACKWARD CANDIDATE FOR WAIVING EXAMINATION FEE**

- 1 Name of candidate:
- 2 Father's Name:
- 3 Age:
- 4 Residential Address:
- 5 Annual Family Income (In words & Figures):
- 6 Date of Issue:
- 7 Signature:
- 8 Stamp of Issuing Authority:

Note – Economically backward classes will mean the candidates whose family income is less than Rs. 50000/- per annum. The following authorities are authorized to issue income certificates for the purpose of identifying economically backward classes: -

- i. District Magistrate or any other Revenue Officer up to level of Tehsildar.
- ii. Sitting Member of Parliament of Lok Sabha for persons of their own constituency.
- iii. BPL Card or any other certificate issued by Central Government under a recognized poverty alleviation program or Izzat MST issued by Railways.
- iv. Union Minister may also make a recommendation to RRC for any persons from anywhere in the country.
- v. Sitting Member of Parliament of Rajya Sabha for persons of the district in which these MPs normally reside



भारतीय रेल
बनारस लोकोमोटिव वर्क
महाप्रबंधक कार्मिक कार्यालय, द्वितीय तल, प्रशासन भवन
वाराणसी 221004
रोजगार सूचना क्रमांक खेल कोटा/02/2026-27

ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की तिथि	12.09.2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि (शुल्क भुगतान, दस्तावेज अपलोड करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए)	12.10.2026

1. खेल कूद कोटा (खुले विज्ञापन के माध्यम से) के अंतर्गत नियुक्ति हेतु ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हो से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार 25 पदों (पे लेवल-5 में 02, पे लेवल-2 में 08 और पे लेवल-1 में 15) के लिए है। केवल वही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं, जिनके पास आवश्यक खेल योग्यता है। SC, ST, OBC, EWS, PH और Ex-SM के लिए कोई आरक्षण नहीं है। बीएलडब्ल्यू/ वाराणसी में वर्ष 2026-27 के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत यदि आप पात्र हैं, तो प्रत्येक अलग अनुशासन/ खेल के लिए अलग आवेदन भरना होगा, जिसके साथ प्रत्येक आवेदन के लिए लागू अलग परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा।

2. पदों का विवरण :-

क्र. सं.	खेल के नाम	लेवल-01	लेवल-02	लेवल-05	कुल पद
01	बास्केटबाल (पुरुष)	1 पद- आल-राउंडर 2 पद- फॉरवर्ड	1 पद- आल-राउंडर 1 पद- पॉइंट गार्ड 1 पद- पिवट	-	06
02	वॉलीबाल (पुरुष)	1 पद- यूनिवर्सल 1 पद- लिबरो 1 पद- क्वार्टर अटैकर 1 पद- सेटर 1 पद- सेंटर ब्लॉकर	1 पद - क्वार्टर अटैकर 1 पद- यूनिवर्सल	-	07
03	कुस्ती (पुरुष)	1 पद - 57 किलो फ्री स्टाइल 1 पद - 97 किलो ग्रीको रोमन	1 पद - 70 किलो फ्री स्टाइल 1 पद - 125 किलो फ्री स्टाइल	-	04
04	हैंडबाल (पुरुष)	1 पद- लेफ्ट बैक 1 पद- राइट विंग 1 पद- आल-राउंडर 1 पद- पिवट 1 पद-गोल कीपर	1 पद- सेंटर बैक	1 पद- राइट बैक 1 पद- लेफ्ट विंग	08
	Total	15	08	02	25

नोट:- SC, ST, OBC और EWS के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। हालांकि, जो उम्मीदवार SC/ST/OBC/EWS समुदायों से होने का दावा करते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी (यानी, तहसीलदार के पद से नीचे का न हो) द्वारा जारी, केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में, अपने स्व-प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र/EWS प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा उन्हें उनके समुदाय के आधार पर शुल्क में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

3. न्यूनतम खेल एवं शैक्षणिक योग्यता: -

(क) खेल उपलब्धियां /पात्रता मानदंड: - खेल कोटा की भर्ती के लिए न्यूनतम मानदंड, योग्यता प्रदर्शन/स्थिति के अतिरिक्त निम्नानुसार होंगे। इन प्रावधानों को पैरा के नीचे नोट के साथ पढ़ा जाएगा।



अन्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिप का कोटिकरण:

कोटि क	ओलंपिक खेल (सीनियर कोटि)
कोटि ख	वर्ल्ड कप (जूनियर/यूथ/सीनियर कोटि), वर्ल्ड चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर कोटि), एशियन गेम्स (सीनियर कोटि), कॉमनवेल्थ गेम्स (सीनियर कोटि) एवं यूथ ओलंपिक्स
कोटि ग	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर कोटि), एशियन चैम्पियनशिप/ एशिया कप (जूनियर/ सीनियर कोटि), साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स (सीनियर कोटि), यूएसआईसी (वर्ल्ड रेलवेज), चैम्पियनशिप (सीनियर कोटि), विश्व विश्वविद्यालय खेल

क्र. सं.	लेवल	न्यूनतम खेलकूद उपलब्धियां
01	05	ओलंपिक खेल (वरिष्ठ श्रेणी) अथवा कोटि-ख की किसी भी चैम्पियनशिप/इवेंट में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो
02	02	कोटि-ख की किसी भी चैम्पियनशिप/इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा कोटि-ग की किसी भी चैम्पियनशिप/इवेंट में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो अथवा सीनियर/यूथ/जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित नेशनल गेम्स में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो अथवा इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित आल इंडिया इन्टर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो अथवा फेडरेशन कप चैम्पियनशिप (सीनियर कोटि) में पहला स्थान प्राप्त किया हो
03	01	कोटि ग चैम्पियनशिप/इवेंट में से किसी में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा फेडरेशन कप चैम्पियनशिप(सीनियर वर्ग) में कम से कम तीसरा स्थान अथवा मैराथन और क्रॉस-कंट्री को छोड़कर, <u>केवल सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कम से कम 8वां स्थान प्राप्त करने की शर्त के साथ किसी राज्य या समकक्ष इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो।</u>

(ख) शैक्षणिक योग्यता :-

आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान/ विश्वविद्यालय से न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। जो उम्मीदवार अंतिम परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं या जिनके परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे पात्र नहीं हैं।

क्र.सं.	पद का लेवल (7वें वेतन आयोग के अनुसार)	भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
i.	लेवल- 5	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री/स्नातक या उसके समकक्ष योग्यता।
ii.	लेवल- 2	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं (+2 स्तर) या उसके समकक्ष परीक्षा।
iii.	लेवल-1	10 वीं उत्तीर्ण या आईटीआई या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष योग्यता या एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र (NAC)।

(4) नोट: -

(क) पैरा 3 (क) में ऊपर बताए गए सभी पात्रता चैम्पियनशिप किसी मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य खेल महासंघों के तत्वावधान में आयोजित किया जाना चाहिए और इसे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जो खेल महासंघ इस अधिसूचना के बाद भी मान्यता प्राप्त नहीं हैं या जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है, उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को भर्ती के लिए मान्य नहीं माना जाएगा।

df
24/8/24

(ख) वॉलीबाल में: - दिनांक 25.06.2020 के बाद वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया या इसकी संबद्ध इकाई द्वारा आयोजित की जाने वाली स्पर्धा में खेल उपलब्धि को भर्ती के उद्देश्य के लिए नहीं माना जाएगा। हालाँकि, वॉलीबॉल के खेल में मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धि के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के संघों और अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे।

(ग) हैंडबॉल में: - HAI (हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया) या उसकी संबद्ध इकाईयों द्वारा दिनांक- 05.09.2023 को या उसके बाद आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी और पदक जीतने वाले प्रदर्शनों को भर्ती के उद्देश्य के लिए नहीं माना जाएगा। हालाँकि, हैंडबॉल खेल में 'एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज' और मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन्स की देखरेख में आयोजित इवेंट्स के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट इस उद्देश्य के लिए मान्य होंगे।

(घ) कुश्ती में दिनांक- 10.03.2025 के बाद डब्ल्यूएफआई (WFI) या उसकी संबद्ध इकाईयों द्वारा आयोजित आयोजनों के लिए जारी किए गए खेल उपलब्धियों के प्रमाणपत्रों को भर्ती के लिए मान्य माना जाएगा।

(ङ) जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में खेल उपलब्धियों के आधार पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए, नीचे उल्लिखित आयु समूहों पर ही विचार किया जाएगा।

क्रम सं.	खेल का नाम	कोटि	आयु वर्ग	मान्यता प्राप्त चैम्पियनशिप का विवरण
1.	बास्केटबाल	पुरुष	18 वर्ष से कम	जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबाल चैम्पियनशिप
2.	वॉलीबाल	पुरुष	19 वर्ष से कम	जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबाल चैम्पियनशिप
3.	कुस्ती (केवल फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन)	पुरुष	20 वर्ष से कम	जूनियर राष्ट्रीय कुस्ती चैम्पियनशिप

ओपन विज्ञापन कोटा के अंतर्गत की जाने वाली सभी भर्तियाँ संबंधित वेतन स्तर/वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर की जाएँगी।

(5). खेल की उपलब्धियां लेने की अवधि:

केवल वे खिलाड़ी जिन्होंने 01/04/2024 या उसके बाद आयोजित चैम्पियनशिप में खेल उपलब्धियाँ (पात्रता मानदंडों के अनुसार) अर्जित की हैं और जो सक्रिय हैं, वे ही खेल कोटा के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। खेल उपलब्धि की वैधता के लिए चैम्पियनशिप/प्रतियोगिता के समापन दिवस को आधार माना जाएगा। खेलों में सक्रियता का आकलन ट्रायल के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) के पत्र सं. 2010/E (Sports)/4 (1)/1 (Policy) दिनांक 31.12.2010 का पैरा 4.2.1)

(6) आयु सीमा :-

01/01/2027 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। केवल वे अभ्यर्थी आवेदन करें जिनका जन्म 01/01/2002 से 01/01/2009 (दोनों तिथियाँ सम्मिलित) के बीच हुआ हो। जिन अभ्यर्थियों का जन्म 31/12/2001 या उससे पहले हुआ है, वे पात्र नहीं हैं। इसी प्रकार, जिन अभ्यर्थियों का जन्म 02/01/2009 या उसके बाद हुआ है, वे भी पात्र नहीं हैं। (किसी भी अभ्यर्थी के किसी भी समुदाय के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है।)

नोट: - जन्म तिथि (D.O.B) के प्रमाण के लिए 10वीं/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र/ समकक्ष शैक्षिक प्रमाण पत्र/ शैक्षिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, अनिवार्य है; अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(7). परीक्षा शुल्क:

SC, ST, भूतपूर्व सैनिकों, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD), महिलाओं, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए	Rs. 250/-	जो उम्मीदवार वास्तव में ट्रायल में शामिल होंगे, उन्हें 250 रुपये का रिफंड दिया जाएगा।
अन्य सभी उम्मीदवार	Rs. 500/-	जो उम्मीदवार वास्तव में ट्रायल में शामिल होंगे, उन्हें 400 रुपये का रिफंड दिया जाएगा।

नोट: - अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि से पहले अपने स्वयं के या अपनी माँ/पिता के खाते से या बैंक के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के खाता संख्या: 10852349060, IFSC कोड SBIN0001868 में, FA AND CAO, BANARAS LOCOMOTIVE WORKS, VARANASI के पक्ष में जमा करें। परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पूर्ण करने के लिए पुनः लॉगिन करना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य लेना चाहिए। आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी को शुल्क रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए। चेक, ड्राफ्ट एवं डाक आदेश (Postal Order) स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Handwritten signature

* अल्पसंख्यक से आशय मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और ज़ोरोएस्ट्रियन (पारसी) से है। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को परिशिष्ट-III में उल्लिखित 'स्व-घोषणा (Self-Declaration)' प्रस्तुत करनी होगी। ट्रायल/दस्तावेज सत्यापन के समय, परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवार को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' (Minority Community Declaration) का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषित हो कि उम्मीदवार उपर्युक्त अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित है। यदि परिशिष्ट-III में उल्लिखित 'स्व-घोषणा' ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड नहीं की गई है या ट्रायल/दस्तावेज सत्यापन के दौरान शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

** आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) से आशय उन व्यक्तियों से है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹50,000/- से कम है। उन्हें आवेदन के समय सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर परिशिष्ट-IV में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(8). चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

i. चयन आवेदन पत्र की स्क्रीनिंग, दस्तावेज सत्यापन, खेल परीक्षणों में प्रदर्शन तथा खेल उपलब्धियों एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

ii. आवेदन-पत्रों की जांच के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन एवं खेल प्रदर्शन के ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में उपयुक्त पाए जाएंगे, केवल उन्हीं का ट्रायल, ट्रायल समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। ट्रायल समिति उनके खेल प्रदर्शन तथा रेलवे/यूनिट टीम एवं भारतीय रेलवे टीम के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करने हेतु ट्रायल आयोजित करेगी। ट्रायल समिति नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार अंक प्रदान करते हुए, अगले चरण के लिए विचारार्थ अपनी अनुशंसा **FIT (उपयुक्त)** अथवा **NOT FIT (अनुपयुक्त)** के रूप में देगी:-

खेल कौशल, फिजिकल फिटनेस एवं ट्रायल के दौरान कोच की टिप्पणियां	40 अंक
FIT उम्मीदवार	वह उम्मीदवार जिसने 25 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों
NOT FIT उम्मीदवार	वह उम्मीदवार जिसने 25 से कम अंक प्राप्त किए हों

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड (भारत सरकार, रेल मंत्रालय) के पत्र सं. 2010/E (Sports)/4 (1)/1 (Policy) दिनांक 31.12.2010 का पैरा- 8.1.10)

iii. ट्रायल के बाद केवल ट्रायल में **FIT** घोषित किए गए अभ्यर्थियों को ही अगले चरण, अर्थात् भर्ती समिति द्वारा खेल उपलब्धियों एवं शैक्षणिक योग्यता के मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

iv. भर्ती समिति केवल **FIT** घोषित अभ्यर्थियों को उनकी खेल उपलब्धियों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि के लिए (कुल 60 अंकों में से) अंक प्रदान करेगी। **NOT FIT** घोषित अभ्यर्थियों का भर्ती समिति द्वारा आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

v. **FIT** घोषित अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों एवं शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से उसी दिन ट्रायल के तुरंत बाद अथवा अधिकतम ट्रायल के अगले दिन किया जाएगा।

vi. अंतिम मेरिट सूची (100 अंकों में) तैयार करने के लिए भर्ती समिति **FIT** अभ्यर्थियों को ट्रायल समिति द्वारा दिए गए अंक (अर्थात् 40 अंकों में से) जोड़ देगी।

vii. अंकों का वितरण: ट्रायल के दौरान प्रदर्शन के लिए ट्रायल समिति तथा खेल उपलब्धियों एवं शैक्षणिक योग्यता के मूल्यांकन के दौरान भर्ती समिति द्वारा दिए जाने वाले अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगे:

खेल कौशल, फिजिकल फिटनेस एवं ट्रायल के दौरान कोच की टिप्पणियां	40 अंक
मापदंडों के अनुसार मान्यताप्राप्त खेल उपलब्धियों का आकलन	50 अंक
शैक्षणिक योग्यता	10 अंक
कुल अंक	100 अंक

(प्राधिकार पैरा- 8.2.16, रेलवे बोर्ड (भारत सरकार, रेल मंत्रालय) का पत्र सं.- 2010/E (Sports)/4 (1)/1 (Policy) दिनांक 31.12.2010 और पत्र सं.- 2018/E(Sports)/4(1)/13 दिनांक- 13.09.2018)

viii. विभिन्न वेतन स्तरों/ग्रेड पे में 'खुले विज्ञापन' (Open Advertisement) के माध्यम से भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निम्नलिखित होंगे:

वेतन स्तर का नाम ((7वें वेतन आयोग के अनुसार)	न्यूनतम अर्हक अंक
पे लेवल- 5	70 अंक
पे लेवल- 2	65 अंक
पे लेवल- 1	60 अंक

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड (भारत सरकार, रेल मंत्रालय) के पत्र सं. 2010/E (Sports)/4 (1)/1 (Policy) दिनांक 31.12.2010 का पैरा- 8.2.17)

नोट: नियुक्ति का प्रस्ताव पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। यदि एक से अधिक खिलाड़ियों के अंक समान आते हैं, तो योग्यता का निर्धारण करने के लिए कम उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।



9. चिकित्सा परीक्षा: नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को बीएलडब्ल्यू प्रशासन द्वारा आबंटित पद के लिए निर्धारित अपेक्षित चिकित्सीय फिटनेस मानकों को पास करना होगा।

10. परिवीक्षा की अवधि: नियुक्ति पाने वाले सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष (02 वर्ष) तक के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय 5 वर्ष का "सेवा बंधपत्र (Service Bond)" जमा करना होगा।

12. सामान्य निर्देश:

- क. खिलाड़ियों की भर्ती रेलवे बोर्ड के पत्र सं- 2010/ई (खेल)/4(1)/1 (नीति) दिनांक 31.12.2010, रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार की जाएगी।
- ख. बीएलडब्ल्यू वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा। चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी सभी चरणों में अनंतिम होगी।
- ग. पात्रता, स्थान, तिथि, चयन का तरीका, स्वीकृति या अस्वीकृति, पद की सिफारिश, पोस्टिंग की जगह, ग्रेड आदि से संबंधित सभी मामलों पर रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। बीएलडब्ल्यू प्रशासन किसी भी व्यक्ति/टीम खेल के लिए चुने जाने वाले खेल/व्यक्तियों की संख्या तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो उस खेल के लिए उनकी आवश्यकता और मानदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
- घ. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, हालांकि शुल्क में छूट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग समुदायों से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्वप्रमाणित जाति प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें कोई शुल्क छूट अनुमति नहीं होगी और 500/- से कम शुल्क का भुगतान करने वाले ऐसे उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- ङ. उच्च वेतन मैट्रिक्स के खेल मानदंड रखने वाले खिलाड़ी कम वेतन मैट्रिक्स के रिक्रियों के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें आवेदित रिक्रि पर नियुक्त किया जाएगा बशर्ते वे योग्य पाए जाय।
- च. चयन परीक्षा/मूल्यांकन में उपस्थित होने के लिए कोई टीए/डीए/आवास नहीं दिया जाएगा। आवेदक को अपनी खुद की प्लेइंग किट लानी होगी। उन्हें चयन के दौरान 4-5 दिनों तक रुकने की भी आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए उन्हें अपनी व्यवस्था करनी होगी। बीएलडब्ल्यू प्रशासन ट्रायल के लिए किसी भी तारीख को तय करने का अधिकार रखता है, जैसा कि उपयुक्त समझा जायेगा और स्थान परिवर्तन या परीक्षण स्थगित (अपनी सुविधानुसार), या यहां तक कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण परीक्षण को रद्द करने का अधिकार बीएलडब्ल्यू प्रशासन के पास है, जिसके खिलाफ कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- छ. आवेदन करने के अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उम्मीदवार को संक्षिप्त सूचना पर परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार रहना होगा।
- ज. खेल कोटे के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ी की सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा, यदि भर्ती के लिए उसके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत/फर्जी पाए जाते हैं तो।
- झ. वे उम्मीदवार जो आरआरबी/आरआरसी परीक्षाओं से जीवन्त भर के लिए डिबार हो चुके हैं या जिन अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के लिए डिबार कर दिया गया है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन्हें इस रोजगार सूचना के जवाब में आवेदन करने की अनुमति नहीं है। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान इस बारे में पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- ञ. रोजगार नियमों के नियम और शर्तों में बाद के परिवर्तन मौजूदा नियमों के अनुसार होंगे। बीएलडब्ल्यू इस रोजगार सूचना के तहत भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के बदलाव/संशोधन/परिवर्तन/रद्द करने पर विचार करने/शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ट. खेल कोटे के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को अपने खेल के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों के लिए प्रदर्शन करना होगा। उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन पहले दो वर्षों की सेवा (प्रोबेशन पीरियड) के दौरान किया जाएगा, यदि वे इस अवधि में प्रदर्शन के मामले में उप-टू-मार्क नहीं पाया जाता है, तो उसकी सेवा समाप्त होने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है।
- ठ. यदि आवेदन/उम्मीदवारी में कोई अनियमितता या कमी देखी जाती है तो बीएलडब्ल्यू भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ड. यदि अधिसूचना और भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के निर्देशों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के निर्देश मान्य होंगे।
- ढ. रेलवे प्रशासन बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया को रद्द/स्थगित/कुछ समय के लिए स्थगित रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ण. वे उम्मीदवार जिन्हें NADA/अन्य अधिकृत एजेंसियों किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है और जिसकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, वे इस रोजगार सूचना के लिए आवेदन न करें। उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, पता चलने पर, रद्द कर दी जाएगी।
- त. किसी भी कानूनी विवाद के लिए, अधिकार क्षेत्र केवल माननीय कैट/इलाहाबाद में होंगे।
- थ. व्याख्या या किसी भी गलती के मामले में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
- द. किसी भी रूप में दुर्व्यवहार या दुराचार करने से उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा और इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

- ध. ट्रायल और मूल्यांकन के दिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों को मूल प्रति के साथ स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियों के एक सेट (जन्म तिथि के लिए हाईस्कूल या समकक्ष प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, खेल उपलब्धियां, जाति प्रमाण पत्र, यदि कहीं और काम कर रहा हो तो नियोक्ता से एनओसी) साथ लाना होगा, ऐसा न करने पर परीक्षण/मूल्यांकन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र होने पर, अंग्रेजी/हिंदी में स्वयं सत्यापित अनुवाद के साथ होना चाहिए।

(13) हेल्प डेस्क

ऑनलाइन आवेदन जमा करने और आवेदन की प्रिंटिंग में किसी भी समस्या के लिए, अभ्यर्थी केवल कार्यदिवसों में recttgmpdlw@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अपनी पूछताछ भेज सकते हैं तथा केवल कार्यदिवसों की समयविधि में मोबाइल नंबर- 9794864103, 9794839226, 7753996190 पर संपर्क कर सकते हैं।

(14) अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज: -

उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्पष्ट (पठनीय) दस्तावेज अपलोड करने होंगे: -

- अधिसूचना के पैरा 3(A) में निर्धारित आवश्यक न्यूनतम खेल योग्यता प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति।
- अधिसूचना के पैरा 3(B) में निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति।
- जन्मतिथि के प्रमाण हेतु प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (कक्षा 10वीं/मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र/समकक्ष शैक्षणिक प्रमाणपत्र/शैक्षणिक प्रमाणपत्र/विद्यालय त्याग प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो)।
- जहाँ लागू हो, SC/ST/OBC/EWS उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी जाति/समुदाय प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति।
- EBC उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति।
- परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने के समर्थन में संबंधित प्रमाणपत्रों की स्कैन की हुई प्रतियाँ।
- नियोक्ता से अनापति प्रमाणपत्र (NOC) की स्कैन की हुई प्रति (यदि लागू हो)।
- आधार कार्ड की स्कैन की हुई प्रति।
- भुगतान की जमा पर्ची (Deposit Slip) की स्कैन की हुई प्रति।
- आवेदन पत्र अपलोड करने के बाद अलग से भेजे गए किसी भी प्रमाणपत्र, फोटो आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
- स्कैन किया हुआ फोटो तथा स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर।

नोट: -

(i) स्कैन किया हुआ फोटो/फोटो की सॉफ्ट कॉपी:-

- उम्मीदवारों को अपना रंगीन फोटो (आकार 3.5 सेमी × 3.5 सेमी, आवेदन की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, JPG/JPEG/PNG प्रारूप, 100 DPI) अपलोड करना होगा। फोटो में उम्मीदवार का सामने से स्पष्ट चेहरा दिखाई देना चाहिए तथा उसने टोपी और धूप का चश्मा (Sunglasses) नहीं पहना होना चाहिए।
- रंगीन फोटो वेब सूचना प्रकाशित होने के बाद किसी पेशेवर स्टूडियो में खिंचवाया गया होना चाहिए। मोबाइल से ली गई या स्वयं खींची गई (सेल्फी/स्व-निर्मित) तस्वीरों के कारण आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
- फोटो उम्मीदवार के दस्तावेज सत्यापन/ट्रायल/चिकित्सा परीक्षण तथा नियुक्ति के समय की वास्तविक उपस्थिति से मेल खाना चाहिए।
- यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है, तो फोटो में चश्मे पर किसी प्रकार की चमक/प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आँखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- उम्मीदवार ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन आवेदन पत्र में पुरानी या अस्पष्ट फोटो अपलोड करने अथवा आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटो और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक उपस्थिति में किसी महत्वपूर्ण अंतर पाए जाने पर किसी भी चरण में आवेदन अस्वीकार कर सकता है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उसी फोटो की 08 (आठ) अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

(ii) स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर/हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी: -

उम्मीदवारों को अपना हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा (आकार 3.5 सेमी × 2.5 सेमी, JPG/JPEG/PNG प्रारूप, 100 DPI)। स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अंग्रेजी या हिंदी में तथा सामान्य हस्तलिपि (Running Hand) में होना चाहिए।

(15) आवेदन कैसे करें: -

15.1 सबसे पहले अभ्यर्थियों को इस अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना/समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ JPG/JPEG/PNG/PDF प्रारूप में अपने पास तैयार रखें:

- पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ (JPG/JPEG/PNG),
- स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (JPG/JPEG/PNG),



- ग. जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के रूप में स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र की प्रति (PDF),
- घ. खेल उपलब्धि/योग्यता के प्रमाण के रूप में स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र की प्रति (PDF),
- ङ. शुल्क भुगतान की जमा पर्ची (JPG/JPEG/PNG/PDF),
- च. समुदाय/जाति प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो) (JPG/JPEG/PNG/PDF),
- छ. शुल्क छूट प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो) (JPG/JPEG/PNG/PDF),
- ज. एनओसी (NOC) की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो) (JPG/JPEG/PNG/PDF),

15.2 BLW, वाराणसी की आधिकारिक वेबसाइट <https://blw.indianrailways.gov.in> पर जाएँ और "Recruitment for Sports Quota 2026-27" पर क्लिक करें।

15.3 'Register Here' पर क्लिक करें।

15.4 अपनी व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर भरें। (कृपया अपना सक्रिय व्यक्तिगत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर दें, क्योंकि भर्ती से संबंधित सभी जानकारी पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।)

15.5 आवश्यक विवरण भर कर जमा करने पर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ईमेल/SMS (जिसमें उम्मीदवार आईडी होगी) भेजा जाएगा।

15.6 अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवार आईडी नोट कर लें, जो आपके पंजीकृत ई-मेल/एसएमएस पर भेजा गया है।

15.7 पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क की निर्धारित राशि अंतिम तिथि से पहले अपने स्वयं के या अपनी माँ/पिता के खाते से या बैंक के माध्यम से FA AND CAO, BANARAS LOCOMOTIVE WORKS, VARANASI के पक्ष में, खाता संख्या: 10852349060, IFSC कोड: SBIN0001868, भारतीय स्टेट बैंक में जमा करनी होगी। रसीद एवं लेन-देन (Transaction) आईडी को पोर्टल पर अपलोड/दर्ज करना होगा। उम्मीदवार को ऑनलाइन फॉर्म में अपना UTR/Reference No. उल्लेख करना होगा।

15.8 परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी उसकी लेन-देन रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

15.9 भुगतान पूर्ण होने के बाद उम्मीदवार आईडी एवं अपने मोबाइल संख्या का उपयोग करके पुनः लॉगिन करें।

15.10 निर्देशों का पालन करें और पंजीकरण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें।

15.11 फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, शुल्क भुगतान/लेन-देन की जमा पर्ची, आधार तथा आवश्यक स्वप्रमाणित प्रमाणपत्रों आदि की स्कैन की हुई प्रतियाँ अपलोड करें।

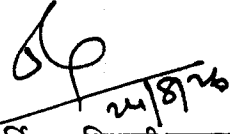
15.12 आवेदन पत्र जमा करें तथा उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

16. टाइपिंग कौशल में प्रवीणता: - भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के पत्र संख्या E (NG)-II/2004/RR-1/48 दिनांक 09.02.2005 (RBE संख्या 25/2005) के अनुसार, खेल कोटा के अंतर्गत क्लर्क/वरिष्ठ क्लर्क के रूप में भर्ती किए गए खिलाड़ियों को नियुक्ति की तिथि से चार वर्ष के भीतर निर्धारित टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। (अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट)।

17. विविध:- विज्ञापन में किसी भी अनजाने त्रुटि के लिए रेलवे प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा। (चयन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सूचनाओं के लिए BLW वेबसाइट ही अभ्यर्थियों से संपर्क का मुख्य एवं प्राथमिक स्रोत होगी)।

18. खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी पत्र संख्या 2010/E (Sports)/04(I)/I(Policy), दिनांक 31.12.2010, 18.04.2012, 10.03.2015, 11.08.2017, 11.09.2017, 30.11.2017, 05.12.2017, 09.01.2018, 13.09.2018, 17.06.2019, 13.08.2019, 04.01.2023, 08.02.2023 तथा समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी संशोधनों/परिवर्तनों के अनुसार की जाएगी।

संलग्नक (DA): - परिशिष्ट-I, II, III एवं IV।


 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय
 कृते महाप्रबंधक/ कार्मिक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री
निवासी ग्राम/कस्बा जिला/डिवीजन* राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र* के जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 [यथा अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।] संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956।
संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1959 (यथा अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।]
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962।
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962।
संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964।
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967।
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968।
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968।
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970।
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978।
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1978।
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1989।
संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990।
संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991।
संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991।
संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996।
संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002।
संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002।
अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जिन्होंने एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रवास किया हो-

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती जो श्री/श्रीमती/कुमारी* के
माता/ पिता है और जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के
जिला/डिवीजन* में ग्राम/कस्बा* के निवासी है, और जो जाति/ जनजाति से संबंधित
है जिसे द्वारा दिनांक को जारी पत्र द्वारा राज्य/संघशासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी और/या* उनका परिवार सामान्यता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के
जिला/ डिवीजन* के ग्राम/कस्बा* में साधारणतः निवास करते हैं।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

स्थान:

(कार्यालय की मुहर के साथ)

दिनांक:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

"कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं"

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें

% जो पैराग्राफ लागू नहीं है उसे हटा दें।

नोट:- यहां प्रयुक्त शब्द *सामान्यतः निवास करता है* का वही अर्थ है जैसा की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

*जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारियों की सूची:-

- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उपायुक्त/उप कलेक्टर, प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप- विभागीय मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
- मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद के नीचे न हो।
- उस क्षेत्र के उप- विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका प्राइवर सामान्य रूप से रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय जाति अधिकारी से प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*श्री/श्रीमती के पुत्र/पुत्री हैं
तथा ग्राम / नगर* जिला राज्य
के निवासी हैं,समुदाय से संबंधित है, जिसेके अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग
(ओबीसी) के रूप में मान्यता प्राप्त है। (उप-जाति का नाम अंकित करें)

- 1) संकल्प संख्या 12011/68-93-बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितंबर 1993, भारत के राजपत्र-असाधारण-भाग I खंड 1, संख्या 186 दिनांक 13 सितंबर 1993 में प्रकाशित।
- 2) संकल्प संख्या 12011/9-94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994, भारत के राजपत्र-असाधारण-भाग I खंड 1, संख्या 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित।
- 3) संकल्प संख्या 12011/7-95-बीसीसी दिनांक 24 मई 1995, भारत के राजपत्र-असाधारण-भाग I खंड 1, संख्या 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित।
- 4) संकल्प संख्या 12011/44-96-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर 1996, भारत के राजपत्र-असाधारण-भाग I खंड 1, संख्या 210 दिनांक 11 दिसंबर 1996 में प्रकाशित।
- 5) संकल्प संख्या 12011/68-93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण संख्या 129 दिनांक 8 जुलाई 1997।
- 6) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12-96-बीसीसी-असाधारण संख्या 164 दिनांक 1 सितंबर 1997।
- 7) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/99-94-बीसीसी-असाधारण संख्या 236 दिनांक 11 दिसंबर 1997।
- 8) संकल्प संख्या 12011/13-97-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण संख्या 239 दिनांक 3 दिसंबर 1997।
- 9) संकल्प संख्या 12011/12-96-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण संख्या 166 दिनांक 3 अगस्त 1998।
- 10) संकल्प संख्या 12011/68-93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण संख्या 171 दिनांक 6 अगस्त 1998।
- 11) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68-98-बीसीसी-असाधारण संख्या 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999।
- 12) संकल्प संख्या 12011/88-98-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण संख्या 270 दिनांक 6 दिसंबर 1999।
- 13) संकल्प संख्या 12011/36-99-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण संख्या 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000।

श्री/श्रीमती/कुमारीऔर/या उसका/उसका* परिवार सामान्यतः
..... राज्य के जिले में निवास करता/ करती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी), दिनांक 08.09.1993 के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं। उक्त कार्यालय ज्ञापन में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण), दिनांक 09.03.2004, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण), दिनांक 27.05.2013, तथा 13.09.2017** के कार्यालय ज्ञापन द्वारा यथासंशोधित प्रावधान लागू हैं।

जिला अधिकारी/ उप. आयुक्त आदि
(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान.....

दिनांक.....

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

(**) समय-समय पर यथासंशोधित।

क) यहां प्रयुक्त शब्द *सामान्यतः निवास करता है* का वही अर्थ है जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ख) जहां प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं, वे एक ही रूप में होने चाहिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट या उप द्वारा 24 प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। आयुक्त (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और जिला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त द्वारा प्रमाणित पर्याप्त नहीं है)

ग) केवल अधिकारियों से ओबीसी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा: -

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे के स्तर के न हों) / उप-मंडल मजिस्ट्रेट*/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. तहसीलदार से निम्न श्रेणी के न होने वाले राजस्व अधिकारी।
4. उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी तथा/अथवा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता हो।
5. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिनका संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति-हस्ताक्षर (काउंटरसाइन) किया गया हो।
6. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित।
7. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, मिनिर्काय तथा अमिनदीवी द्वीपसमूह)।

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए घोषणा

मैं श्री का पुत्र/पुत्री,
निवासी जिला राज्य
..... पिन कोड एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं
..... अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हूँ (भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात्
मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/पारसी/जैन का उल्लेख करें)।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:

नाम:

दिनांक:

स्थान:

नोट: दस्तावेज़ सत्यापन के समय, परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर निष्पादित 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' (Minority Community Declaration) संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें यह घोषित किया गया हो कि वे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात् मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी अथवा जैन, से संबंधित हैं।

आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाण-पत्र

1. उम्मीदवार का नाम :
 2. पिता/पति का नाम :
 3. उम्र :
 4. आवासीय पता :
 5. वार्षिक पारिवारिक आय :
- (अंकों और शब्दों में)

6. जारी करने की तारीख :
7. जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर :
8. जारीकर्ता प्राधिकारी की मोहर :



नोट – आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Economically Backward Classes) से आशय उन अभ्यर्थियों से है जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹50,000/- से कम हो। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं-

1. जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) अथवा तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
2. लोकसभा के वर्तमान (कार्यरत) सांसद, केवल अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए।
3. बीपीएल (BPL) कार्ड अथवा केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी अन्य कोई प्रमाण-पत्र, या भारतीय रेल द्वारा जारी इज्जत एमएसटी (Izzat MST)।
4. केंद्रीय मंत्री देश के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति के संबंध में आरआरसी (Railway Recruitment Cell - RRC) को अनुशंसा कर सकते हैं।
5. राज्यसभा के वर्तमान (कार्यरत) सांसद, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें वे सामान्यतः निवास करते हैं।

